




ई- समाचार पत्रिका



प्रति संख्या 3/2023-24

अक्टूबर - दिसंबर 2023

वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली इनपुट के स्रोत से लेकर कृषि उत्पादन के स्तर तक फैली हुई है। प्रभावी वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ने वाली कड़ीयों को सुदृढ़ किया जाए। इन प्रयासों का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जो ना केवल पेस्ट-मुक्त एवं रासायनिक अवशिष्ट-मुक्त कृषि उत्पादन सुनिश्चित करे बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक हो।



वनस्पति संरक्षण सलाहकार की कलम से....

इसी उद्देश्य के तहत वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (DPPQS) निम्नांकित क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है:

1. एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम):

- आईपीएम तकनीक के अंगीकरण को प्रोत्साहित कर जैविक नियंत्रण, व्यावहारिक तकनीक एवं पेस्टिसाइड के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
- कीट तथा व्याधि चक्र को तोड़ने के लिए फसल चक्र एवं विविधीकरण को प्रचारित करना।
- किसानों को कीटों की आबादी की निगरानी, प्रतिरोधी फसल किस्मों का चुनाव एवं निवारक उपायों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उचित पोषक तत्व प्रबंधन एवं कार्बनिक पदार्थों के समावेश से मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा खेती में इसके महत्व को प्रसारित करना।
- संतुलित उर्वरक अनुप्रयोग के लिए किसानों को मिट्टी परीक्षण की महत्ता से परिचित कराना।
- आईपीएम तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाएँ प्रदान करना।

2. बीज उपचार:

फसल को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा बुआई के समय बीज एवं पौध सामग्री उपचार को प्रोत्साहित करना।

3. पादप संगरोध नियमन:

- बाहरी कीटों एवं बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए निर्धारित आगमन केन्द्रों पर संगरोध उपायों को मजबूत किया जाना।
- भारतीय कृषि की सुरक्षा के लिए एवं जैव सुरक्षा जोखिम को रोकने के उद्देश्य से आयातित कृषि उत्पादों के निरीक्षण हेतु सख्त प्रोटोकॉल लागू किया जाना।

4. प्रारंभिक स्तर पर पादप व्याधि एवं कीट का पता लगाना तथा समय पर सलाह देना:

- किसानों को कृषि-पेस्ट का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रशिक्षण।
- कृषि में मित्र-कीट एवं जैव एजेंट्स की भूमिका तथा उनके संरक्षण के बारे में किसानों को शिक्षित करना।
- समस्या के प्रारम्भ में खेत में स्काउटिंग और निगरानी तकनीकों की उपयोगिता एवं पादप कीट-व्याधि के प्रसार रोकने में निगरानी की महत्ता को प्रचारित करना।
- मौसमी परिवर्तन के आधार पर कीट एवं बीमारी के संभावित प्रकोप के बारे में समयानुसार अलर्ट जारी करना।
- किसानों तक समय से सूचना पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के वनस्पति संरक्षण तंत्र के समन्वय को मजबूत करना।
- पादप कीटों एवं व्याधि के प्रकोप तथा नियंत्रण की जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रभावी एवं सक्षम संचार चैनल बनाना।

5. जैव नियंत्रक एजेंटों एवं जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना:

- स्थायी विकल्प के रूप में मित्र- कीटों, बायो-एजेंट्स एवं आर्गेनिक कृषि तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- मिट्टी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय तंत्र की बेहतरि के लिए सिंथेटिक इनपुट के न्यूनतम प्रयोग तथा संभावित फायदों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पेस्टिसाइड विकल्पों के निर्माण के लिए हरित रसायन विज्ञान में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।
- प्रोत्साहनों एवं सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाओं के द्वारा बायो-पेस्टिसाइड के विकास तथा पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।

6. पेस्टिसाइड पंजीकरण के लिए जोखिम मूल्यांकन एवं विस्तृत डेटा अनिवार्यता:

- पेस्टिसाइड के प्रयोग से संभावित पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य नुकसान के आकलन के लिए एक ठोस जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करना।

• पेस्टिसाइड पंजीकरण के लिए डेटा आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि विषाक्तता, पर्यावरणीय प्रभाव, अवशेषों के स्तर एवं क्षेत्र में प्रभावशीलता पर अध्ययन के लिए पर्याप्त सूचना मिल सकें।

• पेस्टिसाइड अनुमोदन के पूर्व सक्षम नियामक प्राधिकारी द्वारा विस्तृत मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

• मानकीकृत परीक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक पेस्टिसाइड की सुरक्षा, प्रभावशीलता एवं अवशेषों का आकलन करना।

7. पेस्टिसाइड में गुणवत्ता नियंत्रण:

• एसपीटीएल/आरपीटीएल/सीआईएल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि रसायनिक पेस्टिसाइड एवं बायो-पेस्टिसाइड के उत्पादक एवं वितरण तंत्र गुणवत्ता मानकों का पालन करें।

• कृषि-इनपुट विनिर्माण इकाइयों/आपूर्ति श्रृंखलाओं का नियमित निरीक्षण और ऑडिट।

8. पेस्टिसाइड का सुरक्षित प्रबंधन:

• स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए पेस्टिसाइड की सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण और निपटान पर दिशानिर्देश जारी करना।

• पेस्टिसाइड के प्रयोग के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग के महत्व की आवश्यकता एवं प्रचार-प्रसार।

9. प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाएँ:

• पादप कीट-व्याधि प्रबंधन, रोकथाम एवं स्थाई कृषि तकनीक पर किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएँ आयोजित करना।

• वनस्पति सुरक्षा के आकलन हेतु किसानों की क्षमता को बढ़ाना।

• अनुमोदित पेस्टिसाइड के विवेकपूर्ण उपयोग के उद्देश्य से अनुशंसित खुराक एवं सुरक्षित प्रयोग विधियों का प्रचार-प्रसार।

• कृषि उपज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कम रासायनिक अवशेष वाले पेस्टिसाइड के बारे में शिक्षित करना।

• समुचित पादप कीट-व्याधि प्रबंधन एवं अवशेषों में कमी के लिए किसानों को निरंतर प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करना।

• कार्यशालाओं और क्षेत्र प्रदर्शनों में किसानों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना।

10. डेटा संग्रह एवं निगरानी:

• कीट और रोग की घटनाओं पर निगरानी एवं डेटा एकत्र करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली लागू करना।

• पादप कीट-व्याधि का शुरुआती दौर में पता लगाने तथा त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एआई/एमएल एवं डेटा एनालिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग।

11. सार्वजनिक-निजी क्षेत्र भागीदारी:

• सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के बीच

सहयोग को बढ़ावा देना।

• वनस्पति स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों एवं प्रयोग विधि के विकास तथा प्रचार-प्रसार में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।

12. पादप स्वच्छता प्रमाणन एवं ट्रेसिबिलिटी:

• कीट-व्याधि मुक्त कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू करना।

• खेत से निर्यात तक कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं परिवहन पर नज़र रखने के लिए पैक हाउसों के माध्यम से ट्रेसिबिलिटी सिस्टम की शुरुआत।

13. बाज़ार पहुंच और निर्यात संवर्धन:

• किसानों को कृषि उत्पाद के लिए बाजार की आवश्यकताओं एवं पादपस्वच्छता मानकों के बारे में शिक्षित करना।

• किसानों को फाइटोसैनिटरी मानकों को पूरा करने वाली विधियों को अपनाने में सहायता करना, बाजार पहुंच और किसानों को उच्च रिटर्न प्राप्त में सहयोग करना।

• उच्च गुणवत्ता, पेस्ट-मुक्त एवं अवशेष-मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

• फाइटोसैनिटरी मुद्दों तथा बाजार पहुंच के लिए तकनीकी जानकारी मुहैया कराने में सक्रिय रूप से भागेदारी जो अंततः कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाता है।

14. किसानों का सशक्तिकरण:

• वनस्पति स्वास्थ्य के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए किसानों को ज्ञान एवं संसाधनों में सशक्त बनाना।

• पेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता सुधार में सामूहिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किसानों के मध्य किसान खेत पाठशाला आयोजित करना।

इन रणनीतियों को एक व्यापक ढांचे में एकीकृत करके, डीपीपीक्यूएस विभिन्न हितधारकों के साथ अनवरत रूप से काम कर रहा है ताकि बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत किया जा सके। सम्मिलित प्रयासों का उद्देश्य एक बेहतर एवं स्थाई कृषि प्रणाली तैयार करना है, जो पेस्ट-मुक्त और रासायनिक अवशेष-मुक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायक हों। इससे न केवल कृषि निर्यात की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सहायता मिलेगी बल्कि किसानों की आय बढ़ाने बढ़ाने में भी सहायक होगी।

- जे. पी. सिंह

वनस्पति संरक्षण सलाहकार



• प्रमुख कार्यक्रम

• अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

• विशिष्ट अतिथि का भ्रमण

• प्रशिक्षण और कार्यशालाएं

• द्विपक्षीय फाइटोसैनेटरी समझौता

• विशिष्ट उपलब्धि एवं समारोह

सूची:

• भारत के राजपत्र -

महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं

• मीडिया कवरेज

प्रमुख कार्यक्रम

एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (सीआईपीएमसी के प्रयास):

- इस अवधि के दौरान 3.28 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया और महत्वपूर्ण नाशीजीवों के प्रबंधन के लिए 03 परामर्शिकाएं जारी की गईं।
- समाप्त तिमाही के दौरान नाशीजीव प्रबंधन के लिए 0.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 1100.65 मिलियन जैवनियन्त्रण कारक- जारी किए गए।

- 2.63 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैव- नियंत्रण कारकों का सफलतापूर्वक संरक्षण किया गया।
- रबी सीजन में 19 किसान खेत पाठशाला (एफएफएस) आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें 665 किसानों को आईपीएम तकनीक के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- कुल 11 "दो दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम" आयोजित किए गए जिसमें 604 कृषि विस्तार अधिकारी, गैर सरकारी संस्था, अग्रणी किसान, निजी उद्यमी को आईपीएम उपायों पर प्रशिक्षित किया गया।
- इसी अवधि के दौरान 02, पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां राज्य कृषि विभाग के 80 आईओ को आईपीएम उपायों पर प्रशिक्षित किया गया।

वनस्पति संगरोध (केन्द्रों द्वारा किए गए प्रयास):

- ♣ कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने में सहयोग करते हुए इस दौरान 72.16 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कुल 121549 पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी किये गए।
- ♣ 46.65 लाख मीट्रिक टन आयातित कृषि उत्पादों का निरीक्षण उपरांत कुल 38156 आयात निगमन मंजूरी जारी की गई।
- ♣ प्रभावी पादप संगरोध निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से 72 आयातित कृषि उत्पादों में 221 संगरोध नाशीजीवों का पता लगाकर भारत में प्रवेश को रोकने में सफलता मिली।

तिमाही के दौरान एजेंसियों के पंजीकरण/मान्यता प्रमाणपत्र का विवरण

पंजीकृत/मान्यता प्राप्त एजेंसियों के नाम	संख्या
मिथाइल ब्रोमाइड (एमबीआर)	18
एल्यूमिनियम फॉस्फाइड (एएलपी)	30
फ़ोस्टर्ड हॉट-एयर ट्रीटमेंट (एफएचएटी)	25
गर्म पानी विसर्जन उपचार (एचडब्लूडीटी)	4
वाष्प ताप उपचार (वीएचटी)	2
संशोधित वातावरण उपचार सुविधाएं [CO2]	1
यूरोपीय संघ के देशों में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए पैक हाउस	3
संयुक्त राज्य अमेरिका को चावल निर्यात के लिए चावल मिलें/प्रसंस्करण इकाइयाँ	5
चीन को चावल निर्यात के लिए चावल मिलें/प्रसंस्करण इकाइयाँ	5
मूंगफली के निर्यात के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ	4
ऑस्ट्रेलिया को अनार के दाने के निर्यात के लिए पैक हाउस	3
ऑस्ट्रेलिया में अनार के फलों के निर्यात के लिए पैक हाउस	1
संयुक्त राज्य अमेरिका को अनार के दाने के निर्यात के लिए पैक हाउस	1
एनएसपीएम-23 के अनुसार पादप स्वच्छता सेवा एजेंसी	1

नई नियुक्तियां:

समाप्त तिमाही के दौरान निदेशालय में कुल 06 नए लोगों ने वैज्ञानिक सहायक एवं तकनीकी सहायक के पद पर योगदान दिया।

शुभकामनाएं

केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय नाशीजीव जांच प्रयोगशाला एवं तकनीकी विधायी अनुभाग:

- ▲ आर.पी.टी.एल. के द्वारा कुल 1590 नाशीजीवनाशकों के नमूनों का परीक्षण किया गया इनमें से 85 को निम्न मानक (Misbranded) घोषित किया गया।
- ▲ सी.आई.एल. ने 458 नाशीजीवनाशकों के नमूनों का परीक्षण किया, जिनमें से 117 निम्न मानक (Misbranded) के पाए गए।

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति:

पंजीकरण समिति के द्वारा कुल 1767 नाशीजीवनाशकों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें 57 बायो- पेस्टिसाइड, 274 निर्यात एवं 1404 रासायनिक नाशीजीवनाशकों के लिए जारी हुए।

टिड्डी चेतावनी संगठन (LWO/LCO/FSIL द्वारा किए गए प्रयास):

रेगिस्तानी टिड्डी सर्वेक्षण कार्य 33.588 लाख हेक्टेयर में किया गया एवं इसी अवधि के दौरान भारत और पड़ोसी देशों में टिड्ड़ियों की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कुल 06 टिड्डी सूचना बुलेटिन प्रकाशित किये गए।

- इस अवधि में भौतिक रूप से तीन भारत-पाक सीमा बैठक का आयोजन एवं सदस्य देशों के साथ प्रारंभिक डी.एल.सी.सी. सत्र के तहत एक एस.डब्ल्यू.ए.सी. ऑनलाइन मीटिंग आयोजित किया गया।

राजभाषा हिंदी:

संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का सत्यापन करने के लिए दिनांक: 30.11.2023 को क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र, लखनऊ के द्वारा हिंदी में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी) एवं डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए भी उपस्थित थे।



संसदीय राजभाषा समिति की उपसमिति द्वारा दिनांक: 28.12.2023 को क्षेत्रीय पादप संगरोध केंद्र, कोलकाता के हिंदी कार्यों की द्वितीय राजभाषा समीक्षा की गयी।

हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में निदेशालय स्तर पर कर्मचारियों के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं और उत्कृष्ट प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।




योजना और समन्वय इकाई:

- इसी अवधि के दौरान सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त कुल 30 आर.टी.आई. अनुरोध एवं 34 शिकायत/ परिवाद का समाधान किया गया।
- सभी संसदीय प्रश्नों का मसौदा उत्तर निर्धारित समय अवधि के भीतर कृषि एवं कल्याण विभाग को प्रस्तुत किया गया।
- एनआईपीएचएम, हैदराबाद में 16 और 17 अक्टूबर 2023 के दौरान मक्का में फॉल आर्मीवॉर्म के सतत प्रबंधन पर एफएओ प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 21 प्रतिभागियों की भागीदारी में सहयोग प्रदान किया गया।
- एनआईपीएचएम, हैदराबाद में ग्लाइफोसेट के सुरक्षित उपयोग के लिए मास्टर्स ट्रेनिंग के प्रशिक्षण में कुल 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 29.11.2023 से 19.12.2023 के दौरान कीटनाशक अवशेष विश्लेषण (पीआरए) पर एनआईपीएचएम, हैदराबाद में एक कार्मिक को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराई गई।

गेहूं का पीला रतुआ

- भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में पीला रतुआ, गेहूं की एक प्रमुख बीमारी है। ठंडे मौसम की शुरुआत एवं हवा की अनुकूल स्थिति होने पर यह रोग आसानी से फैलती है। रोग के विकास में बारिश, ओस और कोहरा सहायक होते हैं।
- ऑफ सीजन के दौरान पीला रतुआ रोग कारक स्व-विकसित फसल या वैकल्पिक होस्ट पौधों पर पहाड़ियों में यूरेडोस्पोर / टेलियोस्पोर के रूप में जीवित रहता है, जो आगामी फसल में रोग जनक का स्रोत बनता है।
- ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही हिमालय की तलहटी में जल्दी बोयी गयी गेहूं की फसल में पीले रतुआ का संक्रमण शुरू हो जाता है, क्योंकि 7-16°C के मध्य का तापमान सुषुप्त बीजाणुओं के अंकुरण के लिए अनुकूल होता है।
- वायु जनित यूरेडियोनोस्पोर संक्रमण को पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर ले जाते हैं और परिणामस्वरूप रोग का नए क्षेत्रों में प्रसार होता है।

गेहूं पीला रतुआ- रोग जोखिम का मानचित्र



निगरानी



- बीमारी से निपटने के लिए पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के उप-पर्वतीय क्षेत्रों में सतत निगरानी आवश्यक है।
- यदि इन क्षेत्रों में लंबे समय तक बादल छाए रहते हैं, तो गेहूं के फसल की पत्तियों के किनारे, पत्ती के आवरण, स्पाइक्स, स्पाइकलेट्स, ग्लूमस एवं आंस के शिराओं का निरक्षण कर रोग के लक्षणों का जांच करें।
- पौधे के सभी हिस्सों पर लक्षण देखने के लिए हैंड लेंस का उपयोग करें एवं पूरे क्षेत्र में कई पौधों की जांच करें। अपनी उंगलियों को पत्ती के किनारों पर रगड़ें और पीले पाउडर के अवशेषों को परखें।
- यदि गेहूं की फसल में पीला रतुआ दिखाई दे तो फसल पर प्रोपीकोनाज़ोल 25 ईसी @ 0.1% (1 मिली/लीटर) का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।



"आईसीएआर-एनबीएआईआर 31वें स्थापना दिवस"

"आईसीएआर-एनबीएआईआर, बेंगलुरु के 31वें स्थापना दिवस" कार्यक्रम का उद्घाटन सुश्री शोभा करंदलाजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए, डॉ. पी.के. सिंह, कृषि आयुक्त, डीए एवं एफडब्ल्यू, और डॉ. एस.सी. दुबे, एडीजी (पीपी एवं बी), आईसीएआर उपस्थित थे। ऐसे आयोजन कृषि अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने एवं ज्ञान साझा करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।



"भारत में आक्रामक कीटों के खतरे: चुनौतियां एवं भविष्य की योजना" पर राष्ट्रीय संवाद



आईसीएआर-एनबीएआईआर, बेंगलुरु द्वारा "भारत में आक्रामक कीटों के खतरे: चुनौतियां एवं भविष्य की योजना" विषय पर राष्ट्रीय संवाद आयोजित किया गया। श्री पी.के. सिंह, कृषि आयुक्त, डीए एवं एफडब्ल्यू, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस सत्र को डॉ. जे. पी. सिंह, पीपीए ने संबोधित कर बहुमूल्य इनपुट साझा किया। परिचर्चा के दौरान श्री कुणाल सत्यार्थी, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन; डॉ. ए.एस. बी. बालाजी, सचिव, एनबीए, चेन्नई; डॉ. ए.एस. एससी दुबे, एडीजी (पीपी एवं बी), आईसीएआर; डॉ. एस.एन. सुशील, निदेशक, एनबीएआईआर, बेंगलुरु; डॉ. आर.के. मुरली भास्करन, पीएस, आईसीएआर-एनबीएआईआर, रायपुर; श्री भैरप्पा, डीडी, एनएसीईएन, बेंगलुरु; डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, आईसीएआर-एनबीएआईआर एवं श्री सुभाष चंद्र, आईसीएआर-एनबीएआईआर भी उपस्थित रहें।



अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

एफ.ए.ओ. में एसडब्ल्यूएसी का 33वां सत्र



18 से 22 दिसंबर, 2023 तक एफएओ, रोम में आयोजित एसडब्ल्यूएसी के 33वें सत्र के उद्घाटन सत्र को डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए ने ऑनलाइन संबोधित किया और भारत में रेगिस्तानी टिड्डी गतिविधियों एवं चुनौतियों की जानकारी साझा की। वर्ष 2019 के दौरान टिड्डी नियंत्रण कार्यों में नई तकनीक के उपयोग, डेटा प्रबंधन, संयुक्त सर्वेक्षण, ड्रोन के उपयोग, वित्तीय मामले, तथा क्षमता निर्माण आदि सहित टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान के विभिन्न मूद्दों पर चर्चा की गई।

श्री राजेश दुबे भारत में एफएओ ईसीटीएडी और राष्ट्रीय संचालन एवं कार्यक्रम अधिकारी।



निदेशालय की तरफ से डॉ. शालू ऐरी, उप निदेशक (की.वि.) एवं डॉ. वीरेंद्र कुमार, सहायक निदेशक (पीपी) ने इस कार्यक्रम में सहभागिता कर अपने अनुभव एवं विचार साझा किये ।





फॉल आर्मीवर्म के स्थायी प्रबंधन पर एफएओ की वैश्विक संगोष्ठी

दिनांक: 31.10.2023 से 01.11.2023 के दौरान बीजिंग, चीन में आयोजित "फॉल आर्मीवर्म के स्थायी प्रबंधन पर एफएओ की वैश्विक संगोष्ठी" में डॉ. सुनीता पांडे, संयुक्त निदेशक (की.वि.) ने भाग ले कर अपने अनुभव एवं विचार साझा किया।



एपीपीपीसी सलाहकार समूह की बैठक में भागीदारी

डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए ने दिनांक 03 नवंबर 2023 को एपीपीपीसी सलाहकार समूह की बैठक में ऑनलाइन भाग लिया।



आईसीपी/एलसीएस पर भारत-बांग्लादेश के उप-समूह की 5वीं बैठक

दिनांक: 04.11.2023 से 06.11.2023 के दौरान ढाका बांग्लादेश में आयोजित "आईसीपी/एलसीएस पर भारत-बांग्लादेश उप-समूह की 05वीं बैठक" में डॉ. ओइनाम तरूणकुमार सिंह, उप निदेशक (की.वि.) ने भाग लिया।

कीटनाशक अवशेष जोखिम मूल्यांकन और एशिया में अधिकतम अवशेष सीमा का निर्धारण

दिनांक: 20.11.2023 से 24.11.2023 के दौरान बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित "कीटनाशक अवशेष जोखिम मूल्यांकन और एशिया में अधिकतम अवशेष सीमा का निर्धारण" के प्रशिक्षण सत्र में डॉ. टी. सोनाई राजन, सहायक निदेशक (की.वि.) ने भाग लिया।



दिपावली उत्सव!! रोशनी का त्योहार



प्रकाशपर्व दीपावली दिनांक:10.11.2023 को निदेशालय में पुरे उत्साह से मनाया गया तथा इस अवसर पर अयोजित रंगोली प्रतियोगिता में काफी संख्या में कर्मचारियों ने शामिल हो अपने उमंग एवं कला की खुबसूरती को दर्शाया । बाद के सत्र में डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए ने दीपावली की शुभकामना के साथ ही सर्वश्रेष्ठ रंगोली चित्रण के लिए पुरस्कार प्रदान कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।



गणमान्य अतिथियों का भ्रमण

श्री कैलाश चौधरी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार का भ्रमण



श्री कैलाश चौधरी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, ने 30 नवंबर, 2023 को केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद का निरीक्षण किया तथा कृषि सम्बंधित विषयों पर चर्चा की।



श्री नील मैकडोनाल्ड, सी.ए.बी.आई, प्रमुख यूरोप, एमईएनए एवं दक्षिण एशिया ने निदेशालय का दौरा किया तथा डॉ. जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार के साथ विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों के संबंध में एवं भविष्य में बेहतर सहयोग पर चर्चा की।

श्री मनोज आहूजा, सचिव एवं श्री ए.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, का भ्रमण



श्री मनोज आहूजा, सचिव, एवं श्री ए.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक: 23 दिसंबर, 2023 को वनस्पति सं. संग. एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद का दौरा किया। सचिव महोदय ने निदेशालय के कार्यों में नवीनतम तकनीक के उपयोग, अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद, सुलभ प्रसार के उद्देश्य से विभागीय जानकारी को ऑनलाइन करने सहित कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।



आरसीआईपीएमसी, फरीदाबाद में बायोकंट्रोल प्रयोगशाला का दौरा

डॉ. जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार एवं निदेशालय के अन्य अधिकारियों ने गणमान्य अतिथियों को निदेशालय की विभिन्न इकाइयों (केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति, केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र आदि) की कार्य प्रणाली एवं प्रगति से अवगत कराया।



सीआईबी एवं आरसी के परिसर में पौधारोपण



सीआईएल की प्रयोगशाला का दौरा

सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एस.एल.टी.पी.)



कपास की फसल पर सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एसएलटीपी) आरसीआईपीएमसी, नागपुर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए ने सभी सफल प्रशिक्षुओं को बधाई के साथ ही प्रमाण पत्र प्रदान किए। अपने उद्बोधन में, पीपीए महोदय ने कहा कि विस्तार कार्यकर्ताओं, किसानों तथा अन्य हितधारकों को पेस्ट प्रबंधन, फसल स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि पद्धति से संबंधित मूल्यवान ज्ञान एवं कौशल विकसित करने में एसएलटीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रशिक्षुओं द्वारा एईएसए चार्ट तैयार करना



आईपीएम मैनुअल का विमोचन

कपास की फसल पर एसएलटीपी 27 सितंबर 2023 से 26 अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान नागपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 35 एवं मध्य प्रदेश के 05 राज्य कृषि अधिकारी/कर्मचारी को आईपीएम में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।



लाइट ट्रेप में कीड़ों का अवलोकन



PAR गतिविधि--बीज उपचार और कपास के बीजों का अंकुरण परीक्षण



रेगिस्तानी टिड्डी पर तकनीकी सत्र

प्रशिक्षण

एवं

कार्यशालाएं

आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम



सीआईपीएमसी, जयपुर द्वारा आरएआरआई दुर्गापुरा में 09.10.2023 से 13.10.2023 तक पांच दिवसीय एचआरडी आईपीएम ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें राज्य कृषि विभाग और आरएआरआई दुर्गापुरा के 40 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से जोबनेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बलराज सिंह एवं डॉ. वसुधा गौतम, संयुक्त निदेशक(की.वि.) सह प्रभारी अधिकारी, सीआईपीएमसी जयपुर ने किया।

सीआईपीएमसी, जयपुर



ट्राइकोकार्ड्स और बायोकंट्रोल एजेंटों का प्रदर्शन



सीआईपीएमसी, पटना

कीटों को इकट्ठा करने के लिए कीट जाल के उपयोग का प्रदर्शन

खरीफ, 2023-24 के दौरान **सीआईपीएमसी, पटना** द्वारा आईपीएम पर पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक-9 से 13 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित किया गया। बिहार राज्य कृषि विभाग के 40 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण - तकनीकी सत्रों को निदेशालय फरीदाबाद, आईसीएआर-आरसीईआर, पटना, आईसीएआर-सीपीआरएस, पटना, आर.पी.सी.ए.यू.-पूसा, समस्तीपुर एवं केवीके, शिवहर के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया।



वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय



एनजीओ कार्मिकों का सीआईपीएमसी भुवनेश्वर का एक्सपोजर विजिट

मंचेश्वर रियल एस्टेट एनजीओ (उत्कल बिपना सहायक समिति) के 18 कर्मियों ने 22.11.23 को सीआईपीएमसी भुवनेश्वर का दौरा किया। उन्हें आईपीएम प्रौद्योगिकी, इसके उपयोग और महत्व के बारे में बताया गया और किसानों के बीच प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जैव-कीटनाशकों के उत्पादन और ट्राइकोग्रामा कल्चर और कार्ड तैयार करने की विधि के साथ-साथ जैव-कीटनाशकों और फसलों के लाभकारी कीटों के बारे में भी जानकारी प्रसारित की गई।

लोकनेते मोहनराव हीरे कॉलेज के पीजी छात्र का सीआईपीएमसी, नासिक का भ्रमण

लोकनेते मोहनराव हीरे कॉलेज, नासिक के पीजी छात्रों और शिक्षण कर्मचारियों ने 6 नवंबर 2023 को सीआईपीएमसी, नासिक का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को सीआईपीएमसी की कार्यप्रणाली और आधुनिक कृषि में एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया गया। प्रयोगशाला भ्रमण के दौरान आगंतुकों को ट्राइकोडर्मा उत्पादन एवं बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के साथ-साथ कोरसिरा पालन तथा ट्राइकोकार्ड्स तैयार करने के बारे में बताया गया।



निर्यात और आयात पर कार्यशाला

आरपीक्यूएस मुंबई द्वारा 09/12/2023 को कृषि एवं कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात से सम्बंधित हितधारकों के साथ एक तकनीकी बैठक पैकहाउस इकाई के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में कुल 80 प्रतिभागी उपस्थित थे। मीटिंग के दौरान यूरोपीय संघ के देशों में ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात तथा कृषि एवं कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई साथ ही निर्यातकों/आयातकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया गया।

उपचार प्रदाता/पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के साथ एक कार्यशाला

आरपीक्यूएस मुंबई द्वारा 12/12/2023 को भारत से कृषि उत्पादों एवं लकड़ी/बांस निर्मित वस्तुओं के आयात/निर्यात से जुड़े सभी उपचार प्रदाता/पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के साथ एक बैठक कार्यालय-सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। परिचर्चा में कुल 55 प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। मीटिंग के दौरान एनएसपीएम-09, एनएसपीएम-12, एनएसपीएम-22 एवं आई.एस.पी.एम.-15 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।





कस्टम्स एवं कस्टम हाउस एजेंटों तथा हवाईअड्डा प्राधिकरण के साथ कार्यशाला

एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद में हितधारकों के साथ 15.12.2023 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री राहुल मिश्रा, पीपीओ (पीपी) पी.क्यू.एस. हैदराबाद ने फाइटोसैनिटरी प्रमाणन, दस्तावेज़ीकरण, पीक्यूएमएस, रिलेक्सेशन एवं गैर-अनुपालन पर चर्चा की।

निर्यात और आयात पर कार्यशाला

निर्यातकों, आयातकों और सीमा शुल्क हाउस एजेंटों के साथ एक बैठक 18.12.2023 को आरपीक्यूएस, बेंगलुरु में आयोजित की गई जिसमें कुल 22 प्रतिनिधि उपस्थित थे।



बीज निर्यातकों के साथ कार्यशाला

बीज निर्यातक कंपनियों के 30 प्रतिनिधियों के साथ 20.12.2023 को एक बैठक आरपीक्यूएस, हैदराबाद में आयोजित की गई।

भारत से अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात किए गए डब्ल्यूपीएम (लकड़ी पैकिंग सामग्री) / डनेज / एसडब्ल्यूपीएम (ठोस लकड़ी पैकेजिंग सामग्री) पर आईएसपीएम के अनुपालन के उल्लंघन के लिए प्राप्त गैर-अनुपालन सूचनाओं पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु, आरपीक्यूएस, कांडला द्वारा हितधारकों के साथ एक बैठक का आयोजन 28.12.2023 को सिरेमिक एसोसिएशन कार्यालय, मोरबी में किया गया, जहाँ एनएसपीएम-12 और 09 के पंजीकृत एवं मोरबी क्षेत्र में फ्यूमिगेशन/एच.टी. गतिविधियों में संलग्न तथा सिरेमिक इंडस्ट्रीज के करीब 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आईएसपीएम-15 अनुपालन पर कार्यशाला



सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय के छात्रों का आरसीआईपीएमसी, कोलकाता का दौरा

आरसीआईपीएमसी कोलकाता ने "स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज", सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, कोलकाता के छात्रों के लिए दिनांक: 09.11.2023 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 46 छात्रों को डीपीपीक्यूएस की कार्यप्रणाली एवं इसकी जैव-नियंत्रण प्रयोगशाला के बारे में बताया गया। कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, कीटनाशकों के छिड़काव तकनीक, जैव-एजेंटों की पहचान एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में जानकारी दी गयी।



मॉडर्न विद्या निकेतन यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरसीआईपीएमसी, फरीदाबाद का दौरा



मॉडर्न विद्या निकेतन विश्वविद्यालय, पलवल के छात्रों ने आरसीआईपीएमसी, फरीदाबाद की बायोकंट्रोल प्रयोगशाला का दौरा किया। उन्हें बायोकंट्रोल एजेंटों के बारे में और एकीकृत नशीजीव प्रबंधन में बायो-एजेंट्स की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।



इतिहास के पन्नों से

समय के साथ आई.पी.एम.

1989

विश्व का पहला आईपीएम किसान खेत पाठशाला

1980 के दशक में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट से धान की फसल के प्रभावित होने एवं फलस्वरूप चावल में कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से 1989 में इंडोनेशिया के मध्य जावा में पहली बार आईपीएम एफएफएस शुरू किया गया था। पेस्टिसाइड के समाधान खोजने के उद्देश्य से एफएओ द्वारा एफएफएस की शुरुआत की गई एवं जल्द ही आईपीएम एफएफएस का अन्य एशियाई देशों में भी शुरुआत हो गयी।

1990-91

सीआईपीएमसी की शुरुआत

1991-92 में 26 सीआईपीएमसी के स्थापना की शुरुआत हो गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार नए सीआईपीएमसी स्वीकृत किए गए एवं वर्तमान में कुल 36 सीआईपीएमसी विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं।

1992

आईपीएम पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसस का प्रकाशन

आई पी एम - पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसस के समानीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला 29-30 जून, 1992 को एनपीटीआई, हैदराबाद में और दूसरी कार्यशाला 5-6 नवंबर, 1992 को डीपीपीक्यू एंड एस मुख्यालय, फरीदाबाद में आयोजित कर 20 आईपीएम पैकेज विकसित किए गए।

1992-93

आई.पी.एम. क्लस्टर प्रदर्शन और

राज्यों में मास्टर ट्रेनर तैयार करने के उद्देश्य से सीपीपीटीआई में आईपीएम प्रशिक्षण का एक क्रैश प्रोग्राम एवं प्रथम आईपीएम क्लस्टर प्रदर्शन तथा किसान खेत पाठशाला आयोजित किए गया।

To be continued.....



विशिष्ट उपलब्धि एवं समारोह

डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए को "विशेष मान्यता पुरस्कार"

प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद ने 15 से 18 नवंबर, 2023 तक हैदराबाद में आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मेलन" (आईसीपीएएम) के दौरान डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए को "विशेष मान्यता पुरस्कार" से सम्मानित किया।



बायो-कंट्रोल एक्सपो, 2023 में आरसीआईपीएमसी, बेंगलुरु की भागेदारी

बायो-कंट्रोल एक्सपो, 2023 में आरसीआईपीएमसी, बेंगलुरु द्वारा लगाये गए आईपीएम स्टॉल का निरीक्षण/भ्रमण सुश्री शोभा करंदलाजे, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, डॉ. पी.के. सिंह, कृषि आयुक्त, डॉ. एस.सी. दुबे, एडीजी (पीपी&बी), आईसीएआर, डॉ. एस.एन. सुशील निदेशक, एनबीएआईआर-आईसीएआर एवं डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए द्वारा किया गया।

आरपीटीएल, चंडीगढ़ का पीपीए द्वारा भ्रमण

डॉ. जे.पी. सिंह, पीपीए ने आरपीटीएल, चंडीगढ़ के कामकाज के समीक्षा की लिए क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान प्रयोगशाला की क्षमता निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और अनुपालन के लिए निर्देश दिए गए।



वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय



बायो-पेस्टिसाइड परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन



डॉ. जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने आरसीआईपीएमसी बेंगलुरु में 19.10.2023 को बायो-पेस्टिसाइड परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय विचार मंथन कार्यशाला में सहभागिता

आईसीएआर-एनआरआरआई कटक, ओडिशा द्वारा चावल में आईपीएम पर राष्ट्रीय विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया था एवं इस कार्यशाला को ऑनलाइन माध्यम से डॉ. जे. पी. सिंह, पीपीए ने संबोधित किया।



बिहार राज्य के कृषि रोड मैप में भागीदारी

अगले 5 वर्षों के लिए कृषि योजना को लागू करने के लिए 18.10.2023 को बिहार राज्य कृषि विभाग द्वारा आयोजित चौथे कृषि रोड मैप शुभारम्भ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा पटना में किया गया। इस अतिमहत्वपूर्ण अवसर पर सीआईपीएमसी, पटना के अधिकारियों/कर्मचारियों की हितधारक के रूप में भागेदारी रही।



आईआईटीएफ 2023 में भागीदारी

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2023 में क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (आरसीआईपीएमसी), फरीदाबाद ने 13 से 27 नवंबर, 2023 तक आईपीएम आधारित प्रदर्शनी लगाया गया।



कृषिथॉन-कृषि व्यापार मेले में सहभागिता

सीआईपीएमसी, नासिक ने 23 से 27 नवंबर 2023 तक नासिक, महाराष्ट्र में 16वें कृषिथॉन-कृषि व्यापार मेला में भाग लिया। कृषिथॉन एक कृषि आधारित संगठन है जो कृषि और संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। सीआईपीएमसी, नासिक के स्टॉल ने कृषक समुदाय में आईपीएम के महत्व के बारे में सकारात्मक जागरूकता पैदा की।



सीआईपीएमसी एर्नाकुलम द्वारा किसान मेले में भागीदारी

केरल राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पंचायत - पंपक्कुडा, आंचलपेट्टी ब्लॉक, एर्नाकुलम में आयोजित किसान मेले में 14.11.2023 को सीआईपीएमसी एर्नाकुलम के सहयोग से बीपीकेपी 2023 के तहत 200 प्रगतिशील किसानों को आईपीएम और बायोकंट्रोल एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का पीक्यूएस, हैदराबाद का दौरा

12 विभिन्न देशों के 24 प्रतिनिधियों ने 08.11.2023 को पीक्यूएस, हैदराबाद का दौरा किया तथा फाइटोसैनिटरी पहलुओं एवं जैव सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।






कपास की फसल पर पिंक बॉलवर्म के संक्रमण की समीक्षा हेतु विशेष सर्वेक्षण

राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कपास की फसल पर पिंक बॉलवर्म के संक्रमण के कारणों की समीक्षा करने, सुझाव एवं कार्रवाई के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने एक केंद्रीय टीम का गठन किया है। व.सं.सं. एवं संग्रह निदेशालय, आईसीएआर और राज्य कृषि विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने 9-10 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के श्रीगंगानगर और

हनुमानगढ़ जिलों के विभिन्न ब्लॉकों के प्रभावित किसानों के खेतों का सर्वेक्षण किया। केन्द्रीय टीम में निदेशालय का प्रतिनिधित्व डॉ. सनीता पांडे, संयुक्त निदेशक (की.वि.) ने किया।

इन्सेक्ट इनवारमेंट एवं एवियन ट्रस्ट द्वारा आयोजित सेमिनार एवं पुरस्कार समारोह - आरपीक्यूएस बेंगलुरु के कॉन्फ्रेंस हॉल में 16.12.2023 को "इन्सेक्ट इनवारमेंट" एवं "एवियन ट्रस्ट" द्वारा सेमिनार एवं पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। डॉ. एस. वी. सुरेश, कुलपति, युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, बंगलोर मुख्य अतिथि एवं डॉ. डी. के. नागराजू जेडी (ई), प्रभारी अधिकारी, आरपीक्यूएस, बेंगलुरु इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे। डॉ. डी.के. नागराजू जेडी (ई), ने जैव विविधता पर आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव पर व्याख्यान दिया तथा दो अधिकारियों को पादप संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



मण्डलीय रबी उत्पादक गोष्ठी-2023 में सहभागिता

सीआईपीएमसी गोरखपुर ने 16.12.2023 को मंडलीय रबी उत्पादक गोष्ठी-2023 में भाग लिया और विभिन्न आईपीएम गतिविधियों का प्रदर्शन किया।



हितधारकों को पीक्यू विनियमों पर प्रशिक्षण

21.12.2023 को KAPPEC, APEDA और FIEO द्वारा आयोजित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम में पादप संगरोध प्रक्रियाओं के बारे में आर.पी.क्यू.एस. बेंगलुरु के कर्मचारियों द्वारा अतिथि व्याख्यान दिया गया।

द्विपक्षीय फाइटोसेनेटरी समझौता



डॉ. जे.पी. सिंह, वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने भारत से चावल और तंबाकू के निर्यात पर प्रतिबंध के वर्तमान मुद्दों पर 01 नवंबर 2023 को एफएसवीपीएस, रूस के साथ ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।



जापान से ताजे सेब के फल के आयात के लिए सेब पैक हाउसों और बगीचों के ऑन-साइट निरीक्षण के लिए श्री ज्ञानेश्वर बंधोर, उप निदेशक (की.वि.) ने 14.11.2023 से 17.11.2023 के दौरान आओमोरी, जापान का दौरा किया।



डॉ. के. एल. गुर्जर, संयुक्त निदेशक (व.रो.वि.) ने बीज उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पेस्टिसाइड और जैव-पेस्टिसाइड पर डीडी किसान चैनल में एक व्याख्यान दिया।

डॉ. जी.पी. सिंह, संयुक्त निदेशक (की.वि.) ने पर फलों और सब्जियों में एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक पर डीडी कृषि दर्शन उत्तर प्रदेश के टेलीविजन वार्ता में भाग लिया।



कृषी अधिकारी चांगल्या रीतीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करू शकतील : डॉ. जे.पी.सिंग


कीट व्यवस्थापनावर १ महिन्याच्या दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा समारोप

नागपूर, दि. २६ ऑक्टोबर: शेतकऱ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत योग्य मान मिळवण्यासाठी त्याला विषयाने तंत्राची योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे. केंद्रीय एकीकृत कीट व्यवस्थापन द्वारे आयोजित कायदा पिकाच्या एकीकृत कीट व्यवस्थापनावर १ महिन्यांचे दीर्घकालीन प्रशिक्षणाला सहाय्येने पिकाची पुनर्वना, उत्पादन आणि विषयाने याबद्दलची कृषी अधिकारी चांगल्या रीतीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करू शकतील असा विश्वास केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वनस्पति संरक्षण आणि संरक्षण संचालनालय, परीक्षणाद्वारे सहाय्यार डॉ. जे. पी. सिंग यांनी आज नागपुरात व्यक्त केला. केंद्रीय एकीकृत कीट व्यवस्थापन केंद्र नागपूर क्षेत्रीय कार्यालयाद्वारे महागुरातील तसेच राज्य प्रदेस येथील २० कृषी अधिकार्यांसोबत कृषी विभागाच्या एकीकृत कीट व्यवस्थापनावर १ महिन्याच्या दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा समारोपही ते बोलत होते. याप्रसंगी एकीकृत कीट व्यवस्थापन केंद्र नागपुरचे संयुक्त संचालक डॉ. ए.के.बोहरिया, महाराष्ट्र शासनच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संघाना अन्ना नागपूर विभागाच्या प्रकल्प संचालक डॉ. अर्चना कडू प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. विविध देशांमध्ये पिकाच्या निर्यातसाठी त्याचप्रमाणे कीटकायकांच्या वापराबादल काय आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि करार आहेत याबद्दल डॉ. जे. पी. सिंग यांनी विस्तृत माहिती कृषी अधिकार्यांना दिली. केंद्रीय एकीकृत कीट व्यवस्थापन केंद्राद्वारे आयोजित प्रशिक्षणाची चांगली प्रतिसाद मिळाला. याप्रदेसी आयोजित प्रशिक्षणासाठी काही सुधारणा. या प्रशिक्षणाची चांगली सुधारणा असे आवाहन डॉ. ए.के. बोहरिया यांनी यावेळी केले. कीटकायकांच्या कमीत कमी वापर करून पिकाच्या एकीकृत प्रबंधनमध्ये या कीटकायकांच्या अंश नसावा यावरून शेतकऱ्यांना संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या कीटकायकांची निवड करणे याबाबत देखील मार्गदर्शन केले जाते.

आरसीआईपीएमसी, नागपुर में आयोजित सीज़न लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम की कार्यवाही को मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

निदेशालय में 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह "भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध" विषय के तहत मनाया गया। इस अवसर पर पूरे देश में निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह
Vigilance Awareness Week
 30th October to 5th November, 2023
 भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें
 Say no to corruption; commit to the Nation





भारत के राजपत्र --- महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं

विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) में,

एस. ओ. 4366(ई), 6 अक्टूबर, 2023- अनुसूची VI में संशोधन-

ए) निम्नलिखित क्रम संख्या और उसमें प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी- विग्ना सबट्रेनिया (बाम्बारा मूंगफली), उपभोग के लिए सूखा अनाज, नाइजीरिया।

बी) इचिनेशिया पुरप्यूरिया/ इचिनेसिया हाइब्रिड (शंकु फूल) और नीदरलैंड - ऊतक संवर्धित पौधे।

सी) डायोस्पायरोस काकी (खुरमा), स्पेन, उपभोग के लिए ताजे फल और उससे संबंधित कॉलम (6) में मौजूदा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी

डी) "अरुंडो डोनाक्स" और "टिशू कल्चर प्लांट्स", हंगरी।

एस. ओ. 4552(ई), 11 अक्टूबर, 2023- अनुसूची VI में संशोधन:

1. सिडियम गुजावा (अमरूद), उपभोग के लिए ताजा फल, भूटान।

2. लीची चिनेंसिस (लीची), उपभोग के लिए ताजा फल, भूटान।

3. प्रूनस पर्सिका (आड़ू), उपभोग के लिए ताजा फल, भूटान।

4. निम्नलिखित क्रम संख्या और उसमें प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी,

ए) ब्रैसिका जंसिया (सरसों), उपभोग के लिए ताजी पत्तियां, भूटान, शून्य और मिट्टी से मुक्त।

बी) पालकिया ओलेरेस (पालक), उपभोग के लिए ताजी पत्तियां, भूटान, शून्य और मिट्टी से मुक्त।

ग) साइक्लेंथेरा पेडाटा (फिसलन लौकी), उपभोग के लिए ताजी पत्तियां, भूटान, शून्य और मिट्टी से मुक्त।

एस. ओ. 4640(ई), 19 अक्टूबर, 2023 - अनुसूची I में संशोधन,

"बंदरगाह" शीर्षक के तहत क्रम संख्या 47 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: -

48. कैम्पबेल खाड़ी (अंडमान और निकोबार द्वीप)।

49. कार निकोबार (अंडमान एवं निकोबार द्वीप)।

एस. ओ. 4739(ई), 27 अक्टूबर, 2023- अनुसूची VI में संशोधन

मालुस डोमेस्टिका (सेब), उपभोग के लिए फल, जर्मनी।

एस. ओ. 4764(ई), 1 नवंबर, 2023 - अनुसूची V का संशोधन
पर्सिया अमेरिकाना (एवोकैडो), उपभोग के लिए ताजे फल, ऑस्ट्रेलिया।

जी.एस.आर. 794(ई), 23 अक्टूबर, 2023- कीटनाशक नियम, 1971 के नियम 14 के उपनियम (1) में संशोधन।

आगे प्रावधान करें कि मृत खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य जो नियम 10 में निर्दिष्ट योग्यता के बिना हैं, लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए कीटनाशक प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम से गुजरना होगा और ऐसा लाइसेंस एक अवधि के लिए परिवार के सदस्य को अनंतिम रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। वर्ष या जब तक परिवार का सदस्य कीटनाशक प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा नहीं कर लेता, जो भी पहले हो और उक्त अवधि के दौरान, आवेदक नियम 10 में निर्दिष्ट ऐसी शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को नियोजित कर सकता है।

जी.एस.आर. 827(ई) 8 नवंबर, 2023 - कीटनाशक नियम, 1971 (बाद में उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में संशोधन, नियम 10 में, उप-नियम (3 ए), खंड (iii) में, -

ए) "भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, हापुड और राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद;" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(बी) "बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित संचालन के लिए केवल ग्लाइफोसेट और इसके डेरिवेटिव का उपयोग करके कीट नियंत्रण संचालन के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन करता है, उसे सात संस्थानों में से किसी एक से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा, जो विशेष रूप से ग्लाइफोसेट उपयोग के लिए है।

जी.एस.आर. 866(ई) दिनांक 17 नवंबर, 2023-कीटनाशक नियम, 1971 (बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में, नियम 10 में, उप-नियम (3 ए) के खंड (i) में, पहले प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा:

बशर्ते कि एक व्यक्ति जो ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव के उपयोग के साथ कीट नियंत्रण संचालन करने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन करता है, उसे लाइसेंस प्रदान किया हुआ माना जाएगा यदि लाइसेंसिंग अधिकारी ने तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद उसे लाइसेंस नहीं दिया है। उसके आवेदन जमा करने की तारीख. बशर्ते यह भी कि व्यक्ति केवल ग्लाइफोसेट और इसके डेरिवेटिव का उपयोग करने वाले संचालन के सभी स्थानों के लिए एक हजार रुपये के शुल्क के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा।

जी.एस.आर. 868(ई) दिनांक 24 नवंबर 2023, ड्राफ्ट नियम कीटनाशक नियम, 1971 (बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में, निम्नलिखित में संशोधन किया जाएगा, अर्थात्-

(1) नियम 9 के उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "(1) किसी भी कीटनाशक के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन डिजिटल रूप में [फॉर्म II] लाइसेंसिंग अधिकारी को किया जाएगा। और प्रत्येक कीटनाशक के लिए दो हजार रुपये का शुल्क और सभी कीटनाशकों के लिए अधिकतम बीस हजार रुपये का शुल्क होगा, जिसके लिए लाइसेंस लागू किया गया है।

(2) नियम 10 के उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "(1) कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन डिजिटल रूप में किए जाएंगे [फॉर्म II] लाइसेंसिंग अधिकारी को जमा करना होगा और उप नियम (2) में निर्दिष्ट शुल्क के साथ जमा करना होगा।"

(3) नियम 15 में,

(i) उप-नियम (2) में, शब्द वाक्यांश को "डिजिटल रूप में कीटनाशक के अनुसार बनाया जाएगा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (3) में, शब्द वाक्यांश को "डिजिटल रूप में" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (3) में, शब्द वाक्यांश को "डिजिटल रूप में" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (4) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "प्रत्येक निर्माता या आयातक को डिजिटल रूप में बनाए रखना होगा और मासिक विवरण या रिटर्न को फॉर्म

III के परिशिष्ट डी1 और परिशिष्ट डी2 में लाइसेंसिंग अधिकारी को जमा करना होगा।" महीने के समापन से 15 दिनों के भीतर क्रमशः फॉर्म III।

(4) नियम 24 में; (i) उप नियम (3) में, शब्द "तीन प्रतियों में" हटा दिया जाएगा (ii) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम (4) डाला जाएगा; "(4) उप-नियम (1) और (3) में बताए अनुसार रिपोर्ट की प्राप्ति और आपूर्ति डिजिटल रूप में की जाएगी।"

(5) नियम 25 में, उप-नियम 25(2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा; "बशर्ते आगे, शुल्क का भुगतान डिजिटल रूप में किया जा सकता है।"

(6) नियम 27 के उप-नियम (6) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "(6) नमूने लेने सहित अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उसके द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना और स्टॉक को जब्त करना और ऐसा रिकॉर्ड लाइसेंसिंग अधिकारी को जमा करना।"

(7) नियम 30 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: - "स्टॉक का निपटान न करने के आदेश का प्रपत्र।

(8) नियम 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: - जब्त किए गए कीटनाशक के लिए रसीद का प्रपत्र।

(9) नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: - नमूने लेने के प्रयोजन के लिए सूचना का प्रपत्र।

(10) नियम 34 में, उप-नियम 34(1) के बाद निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा; "परीक्षण या विश्लेषण के लिए प्रदान की गई सूचना डिजिटल रूप में जारी की जा सकती है।"


INITIATIVE

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली



विभिन्न प्रगतिशील किसानों को एनपीएसएस और इसके संचालन पर प्रशिक्षण दिया गया है

राष्ट्रीय पेस्ट निगरानी प्रणाली(एन.पी.एस.एस.), वनस्पतिक व्याधि एवं कीड़ों के पूर्वानुमान तथा इनके प्रबंधन हेतु समयबद्ध सलाह जारी करने के लिए डीपीपीक्यू एंड एस की एक अभिनव पहल है। एन.पी.एस.एस. का उद्देश्य उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं मशीन लर्निंग (एमएल) प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर वनस्पतिक व्याधि एवं कीड़ों के हानिकारक प्रभाव से निपटने के लिए कृषक समुदाय को तात्कालिक समाधान प्रदान करना है। विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों के साथ सहयोग करते हुए, एनपीएसएस जीआईएस-आधारित पेस्ट जानकारी, मोबाइल ऐप एवं कृषि पेस्ट-संबंधी सलाह के लिए एक पोर्टल प्रदान करता है। यह प्रणाली डिजिटल रूप से संग्रहीत डेटा के साथ कृषि पेस्ट-समस्याओं को प्रभावी ढंग से संभालने में किसानों की मदद करती है। इसे डीपीपीक्यू एंड एस एवं आईसीएआर-एनसीआईपीएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।



स्वच्छता पखवाड़ा

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान के तहत डीपीपीक्यूएस, सीआईएल और सीआईबी एंड आरसी, फरीदाबाद के परिसर में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। श्री ए.के. श्रीवास्तव संयुक्त सचिव (व. सं.) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़े के उद्घाटन के मौके पर निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को "स्वच्छता शपथ" दिलाई तथा सभी को स्वच्छता पखवाड़े की सार्थकता के लिए अपना श्रमदान करने के लिए प्रेरित किया। वनस्पति संरक्षण सलाहकार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने परिसर की साफ-सफाई एवं श्रमदान में योगदान दिया।



निदेशालय विभिन्न कार्यालयों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई में योगदान दिया।



आरपीक्यूएस, बेंगलुरु



आरसीआईपीएमसी, फरीदाबाद



पीक्यूएस, मैंगलोर



पीक्यूएस, हैदराबाद



आरपीक्यूएस, मुंबई



आम निर्यात

कृषक स्तर पर देखभाल



आइए मैं आपको आम निर्यात करने के लिए किसान स्तर पर की जाने वाली देखभाल के बारे में समझाता हूँ!!!!

मेल अन्हिलेशन टेकनिक

जब आम के फल निम्बू के आकार के हो जाये तो नर फल मक्खियों की निगरानी करने और फल मक्खियों के आगे की पीढ़ियों को कम करने के लिए फ्रूट फ्लाय ट्रेप 12 प्रति एकड़ की दर से लगाना चाहिए।



बेट स्प्रे तकनीक

यदि फल मक्खी की समस्या बहुत गंभीर है तो 1000 मिलीलीटर पानी + 100 ग्राम गुड़ / प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट + 2 मिलीलीटर डेल्टामेथिन (2.8 ईसी) / मैलाथियान (50 ईसी) को मिलाकर कर तनों पर स्प्रे करें।



वृक्ष बैंडिंग

दिसंबर के मध्य में आम के पेड़ों के तने पर एल्काथीन/पॉलीथीन शीट (400 गेज) से बांध दें (जमीनी स्तर से 30-50 सेमी ऊपर और शाखाओं के जंक्शन के ठीक नीचे)। यह बैंड मीली बग निम्फ को वृक्षों पर चढ़ने से रोकने में मदद करता है साथ ही संक्रमण को कम करता है।



परिपक्व फलों पर फल मक्खियों के अंडे देने से रोकने के लिए फ्रूट बैगिंग

सर्दियों में कीट-पतंगों और बीमारियों से बचाव के लिए पेड़ की घेरे के नीचे के क्षेत्र को खरपतवार मुक्त रखें।

साप्ताहिक अंतराल पर संक्रमित और गिरे हुए फलों को इकट्ठा करना और नष्ट करना।



प्रकाशित:

वनस्पति संरक्षण सलाहकार
वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद, हरियाणा -
121001
दूरभाष: 0129-2413985, ईमेल:-ppa@nic.in

डिज़ाइन एवं संकलनकर्ता:

श्री ज्ञानेश्वर बंधोर, उप निदेशक (की.वि.), श्री बी बी कुमार, सहा. नि. (ख.वि.), श्री विशाल एल गटे, व.सं.अधि. (व.रो.वि.), डॉ. संतोष पी. पटोले, व.सं.अधि. (व.रो.वि.) सुश्री भावना आर. सिंह, सहा.व.सं.अधि. (की.वि.), और श्री रोहित एम., सहा.व.सं.अधि. (व.रो.वि.)